संख्याः-26/2026/1345/छिहत्तर-1-2026(2060646)

प्रेषक

अनुराग श्रीवास्तव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 23 जून, 2026

विषयः- प्रदेश के ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के जल स्रोतों के दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु के Source Sustenance Committee **बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (NJJM) द्वारा जेएजे0एम0-2.0 योजना के स्रोतों की दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जारी दिशा निर्देश के क्रम में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र संख्या-986/JJM (Source Sustenance Committee) /2026-27/ Tech-05 दिनांक 11 जून, 2026 द्वारा राज्य स्तर, जिला स्तर एवं पंचायत स्तर पर Source Sustenance Committee (SSC) का गठन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के जल स्रोतों का समय-समय पर आंकलन, संरक्षण एवं दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्तर, जिला स्तर एवं पंचायत स्तर पर Source Sustenance Committee (SSC) का निम्नवत गठन किया जाता है तथा उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य निम्नवत होंगे:-

3- राज्य सोर्स सस्टेनेबिलिटी समिति

क्र0सं0	पदाधिकारी	समिति में पद
1	मुख्य अभियंता (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।	अध्यक्ष
2	मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।	संयोजक
3	प्रमुख अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता से अन्यून।	सदस्य
4	निदेशक, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग लखनऊ द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता से अन्यून।	सदस्य
5	निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	विभागाध्यक्ष, सिविल अभियान्त्रिक विभाग, आई०ई०टी० द्वारा नामित प्रतिनिधि, लखनऊ।	सदस्य
7	योजना से संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)।	सदस्य
8	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
9	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता से अन्यून।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
11	निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य

राज्य स्तरीय सोर्स ससटेनेन्स समिति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यकारिणी (Executive Committee) समिति के नियंत्राधीन होगी।

4- **राज्य स्तरीय सोर्स ससटेनेन्स समिति की भूमिका एवं दायित्व :-**

(1) सोर्स सस्टेनेबिलिटी से सम्बन्धित समेकित जनपदीय रिपोर्टस की समीक्षा एवं तत्क्रम में प्रगति की निगरानी करना।

(2) जनपद आधारित समस्याओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर नितिगत निर्देश एवं तकनीकी एडवाइजरी जारी करना।

(3) ऐसे जनपद जिनमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी से सम्बन्धित व्यापक समस्याएं हो उन्हें तकनीकी तथा समन्वय सम्बन्धित सहायता उपलब्ध कराना।

(4) जल संसाधन, भूजल, जलागम प्रबन्धन एवं पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विभागों के बीच कनवरजेन्स एवं समन्वय स्थापित कराना।

5- **जिला सोर्स सस्टेनेबिलिटी समिति**

क्रम0सं0	पदनाम	पद
1	अधिशासी अभियन्ता, सिविल उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	अध्यक्ष/संयोजक
2	जिला कृषि अधिकारी।	सदस्य
3	अधिशासी अभियन्ता, वि0/यां0, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	सदस्य
4	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग	सदस्य
5	जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य
6	अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
7	भूगर्भ जल विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
8	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी सदस्य	सदस्य

जिला स्तरीय सोर्स ससटेनेन्स समिति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी०डब्ल्यू०एस०एम०) के नियंत्रणाधीन होगी।

6- जिला स्तरीय सोर्स ससटेनेन्स समिति द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला तकनीकी इकाई (डी०टी०यू०) के समन्वय से निम्न दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा:-

(1) सभी पेयजल स्रोतों के मौसमी (विशेषकर गर्मी सूखे के समय) प्रदर्शन की समीक्षा एवं स्थिरता का आकलन करना।

(2) पुनर्भरण एवं स्रोत संरक्षण उपायों, जिसमें VB-G RAM G, WDC-PMKSY 2.0 एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित संरचनाएं सम्मिलित है, की योजना तैयार कराना एवं उसकी निगरानी।

(3) जल कमी या गुणवता गिरावट वाले जोखिमग्रस्त गांवों एवं स्रोतों की पहचान एवं प्रभावी सुधारात्मक उपायों की संस्तुति करना।

(4) जल बजटिंग, मांग प्रबंधन उपायों एवं पुनर्भरण, जल संरक्षण एवं जलग्रहण की सुरक्षा के लिए अन्तरविभागीय समन्वय स्थापित करना।

(5) DWSM को सौर्स सस्टेनेबिलिटी से सम्बन्धित योजनाओं की स्वीकृति, कनवर्जेन्स तथा फॉलोअप हेतु संस्तुति करना।

7- **ग्राम पंचायत सोर्स सस्टेनेबिलिटी समिति**

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वीण्डब्ल्यू०एस०सी०) द्वारा सोर्स सस्टेनेबिलिटी समिति के रूप में कार्य किया जायेगा।

8- ग्राम पंचायत सोर्स ससटेनेन्स समिति द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा:-

(1) पेयजल स्रोतों का आधारभूत रिकॉर्ड तथा मौसमी बदलाव से सम्बन्धित रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर मेनटेन करना तथा डिजिटल मॉनिटरिंग हेतु जानकारी उपलब्ध कराना।

(2) पेयजल स्रोतों की सुरक्षा एवं रखरखाव सुनिश्चित करना तथा जल गुणवता परीक्षण (लैब/FTK) में सहयोग करना एवं जल गुणवत्ता सम्बन्धित समस्याओं/पेयजल आपूर्ति में बाधा कमी के सम्बन्ध में त्वरित रूप से डी०डब्ल्यू०एस०एम० को सूचित करना देना।

(3) ग्राम पंचायत/गांव जल बजट तैयार करने में सहभागिता करना तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाने में सहयोग करना।

(4) जनपद द्वारा स्वीकृत छोटे पुनर्भरण एवं संरक्षण कार्यों के रखरखाव में सहायता करना तथा सूखने, रिसाव आदि जोखिमों की सूचना देना।

(5) ग्राम पंचायत स्तर पर पुनर्भरण एवं स्रोत संरक्षण उपायों, जिसमें VB-G RAM G, WDC-PMKSY 2.0 एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित संरचनाएं सम्मिलित है, की योजना तैयार कराना एवं उसकी निगरानी।

(6) घरों से निकलने वाले इस्तेमाल किये गये जल (गे वाटर) को सोक पीट/लीच पिट, किचन गार्डन एवं प्रकृति आधारित ट्रीटमेंट विकल्पों के माध्यम से ट्रीटमेंट करने एवं ट्रीटेड वाटर को दोबारा इस्तेमाल किये जाने को बढ़ावा देना।

भवदीय,
Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 23-06-2026
17:07:32
(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-26/2026/1345(1)/छिहत्तर-1-2026-(2060646),तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 जलशक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग, लखनऊ।
7. निदेशक, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग लखनऊ।
8. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. विभागाध्यक्ष, सिविल अभियान्त्रिक विभाग, आई०ई०टी०, लखनऊ।
10. मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
11. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 23-06-2026
17:48:49
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।